राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1381 व 1382/2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स गोविन्दम एजेन्सी, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत– तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/09/2015	**खण्डपीठ** **श्री बी के मीणा, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अभिभाषक श्री श्याम पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर के अजमेरा उपस्थित। उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी,तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के द्वारा प्रकरण संख्या क्रमशः 81 व 82/अपील्स–तृतीय/स्थगन /2015–16 पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 11.08.2015, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा द्वारा कर व ब्याज की मांग राशियों को स्थगित नहीं किये जाने को विवादित किया गया है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उपायुक्त (अपील्स) ने प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के लिये कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी व्यवहारी–बिक्रीत माल "ब्राण्डेड कन्फेक्षनरी" नहीं होकर "सुगर केन्डी" होना प्रकट किया है। विकल्प के तौर पर उन्होनें कथन किया कि विक्रेता मै0 परफेटी वान मेल इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा समस्त कर राजकोष में जमा करा दिया गया है इसलिये अपीलार्थी का कर का कोई दायित्व ही नहीं बनता तथा विभाग को भी इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यदि अपीलार्थी से कर लिया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। उक्त आधारों पर प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी के पक्ष में होना प्रकट किया है। अतः विवादित राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की है । उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेष का समर्थन किया है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अवलोकन एवं पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात, प्रथम् दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग की वसूली कार्यवाही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस ओदश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित की जाती है एवं अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करेंगें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। 11.9.2015 (मदन लाल) सदस्य (बी के मीणा) अध्यक्ष	